भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2407
उत्तर देने की तारीख 15.12.2025

सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना

2407. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नंदुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना (सीएफपीजीएस) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) महाराष्ट्र में पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सीएफपीजीएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और आवंटित कुल अनुदान का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जनजाति बहुल जिलों के लिए सीएफपीजीएस के अंतर्गत कोई अवसंरचना-उन्मुख घटक (जैसे उत्सव/प्रदर्शनी/सांस्कृतिक उत्पादन) आरक्षित हैं या प्राथमिकता प्राप्त हैं और यदि हां, तो लागू भारांक क्या है;
(घ) महाराष्ट्र के आवेदकों के लिए सीएफपीजीएस के अंतर्गत आवेदन जमा करने और अनुदान स्वीकृत होने के बीच औसत समय-अंतराल कितना है;
(ङ) अल्प विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में जारी की गई सीएफपीजीएस निधि का उपयोग निर्धारित सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और लेखापरीक्षा तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार का सीएफपीजीएस में सहभागिता बढ़ाने के लिए, विशेषकर नंदुरबार जैसे पिछड़े निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश या आउटरीच कार्यक्रम कब तक जारी करने का विचार है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजीएस) के अंतर्गत स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश से पात्र गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों और विश्वविद्यालयों से सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यकलाप आयोजित

करने हेतु वर्ष भर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय में इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जिला-वार सूची का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ख): विगत वर्ष या वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजीएस) के अंतर्गत अब तक किसी भी परियोजना को संस्वीकृत या अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग): सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजीएस) के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचारगोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाट्य-रंगमंच, संगीत आदि और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर लघु शोध परियोजनाएं आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। जनजाति बहुल जिलों के लिए सीएफपीजीएस के अंतर्गत ऐसा कोई अवसंरचना-उन्मुख घटक आरक्षित या प्राथमिकता प्राप्त नहीं है।

(घ): सीएफपीजीएस के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर माननीय संस्कृति मंत्री (एचसीएम) के अनुमोदन से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार और अनुशंसा की जाती है। अतः, आवेदन को प्रस्तुत करने और अनुदान संस्वीकृत होने के बीच का समय-अंतराल प्रस्ताव की पूर्णता, पर्याप्त संख्या में आवेदनों की प्राप्ति, विशेषज्ञ समिति की बैठकों के निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेषज्ञ समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर निर्भर करता है। अत: किसी समान औसत समय-अंतराल को इंगित नहीं किया जा सकता।

(ड.): निधियों की उपयोगिता की निगरानी प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर की जाती है, जैसे कि इन स्कीमों के तहत जारी निधियों की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)-2017 के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्रों, सम्परीक्षित लेखा विवरण (सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित) और वीडियो प्रमाण, प्रस्तुति-सह-उपलब्धि रिपोर्ट, पैम्फलेट और विज्ञापन, समाचारपत्र की क्लिपिंग आदि जैसे अन्य प्रमाणिक साक्ष्यों की प्रस्तुति के आधार पर की जाती है।

(च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****